web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 21 नवंबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 54

भारतीय निर्वाचन आयोग ने ने पांच चुनावी राज्यों में जब्त की 1760 करोड़ रुपए की नगदी, शराब

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि पांच राज्यों में इस समय चल रहे विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद उसने इन राज्यों में अब तक कुल 1760 करोड़ रुपये की नकदी, शराब और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें मुफ्त दिये जाने वाले सामान जब्त किए हैं। आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह जब्ती प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग और समन्वय के साथ की गयी है। इन कार्रवाइयों में सबसे अधिक नकदी तेलंगाना में और सबसे कम (शून्य) नकदी मिजोरम में पकड़ी गयी है।

इन राज्यों में इस बार की गयी जब्ती इन पांचों राज्यों में 2018 में कराये गये राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान इस तरह की जब्ती की तुलना में करीब सात गुना है। आयोग की चुनाव के दौरान जब्ती की कार्रवाई के लिये स्थापित प्रबंधन प्रणाली और प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक 373 करोड़ रुपये की नकदी, 215 करोड़ रुपये की शराब, 245 करोड़ रुपये की ड्रग, 371 करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातुयें, 556 करोड़ रुपये के मुफ्त बांटने के सामान जब्त किये हैं।

इस दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 21 करोड़ रुपये की नकदी, दो करोड़ रुपये से अधिक की शबरा, साढ़े चार करोड़ रुपये से अधिक के मादक द्रव्य , करीब 23 करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातुएं और करीब 26 करोड़ 70 लाख रुपये के सामान जब्त किए गए। मध्य प्रदेश में 33.72 करोड़ रुपये की नकदी, 69.85 करोड़ रुपये की शराब, 15.53 करोड़ रुपये के ड्रग्स, 84.1 करोड़ रुपये की महंगी धातुयें, और 120.53 करोड़ रुपये के सामान जब्त किये गये हैं।

मिजोरम में 4.67 रुपये की शराब, 29.82 रुपये की ड्रग्स, और 15.16 रुपये के सामान की जब्ती की गयी है।

राजस्थान में 93.17 करोड़ रुपये की नकदी, 51.29 करोड़ की शराब, 91.71 करोड़ रुपये के ड्रग्स, 73.36 करोड़ रुपये की मूल्यवान धातुयें तथा 341.24 करोड़ रुपये मूल्य के बांटने के सामान पकड़े गये हैं।

तेलंगाना में चुनाव में मतदाताओं को लुभा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के तहत जब्ती की कार्रवाई में सबसे अधिक 225.23 करोड़ रुपये की नकदी, 86.82 करोड़ रुपये की शराब, 103.74 करोड़ रुपये के ड्रग्स, 191.02 करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातुयें तथा 52.41 करोड़ रुपये के सामान पकड़े गए हैं। मिजोरम, मध्या प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान कराये जा चुके हैं। राजस्थान और तेलंगाना में क्रमशः 25 और 30 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती तीन दिसंबर को करायी जायेगी।

तेलंगाना में नकदी, सोना, शराब जब्ती का आंकड़ा 625 करोड़ रुपए तक पहुंचा

हैदराबाद (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव होने से 10 दिन पहले तक जब्त की गई नकदी, सोना, शराब और मुफ्त वस्तुओं का मूल्यो 625 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान 22.46 करोड़ रुपये की नकदी, कीमती धातु, शराब और अन्य सामान जब्त किया, जिससे कुल आंकड़ा 6,25,79,47,333 रुपये हो गया। 2018 के चुनावों में नकदी, शराब और अन्य वस्तुओं की कुल जब्ती केवल 103.89 करोड़ रुपये थी। 19 नवंबर को सुबह 9 बजे समाप्त 24 घंटे की अवधि के दौरान एजेंसियों ने 18.64 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। इसके साथ ही 9 अक्टूबर से अब तक जब्त की गई नकदी 232.72 करोड़ रुपये हो गई है। एजेंसियों ने 24 घंटे की अवधि के दौरान 2.57 करोड़ रुपये की शराब जब्त की। इसके साथ ही अब तक जब्त की गई शराब की कुल कीमत 99.49 करोड़ रुपये हो गई है। अधिकारियों ने 2.17 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है। प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान 27 लाख रुपये का नशीला पदार्थ जब्त किया है। उन्होंने अब तक 34.35 करोड़ रुपये की ड्रग्स/नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त सामग्री में 8,527 किलोग्राम गांजा शामिल है। जब्त किए गए सोना, चांदी, हीरे आदि का कुल मूल्य बढ़कर 180.60 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 294 किलोग्राम सोना, 1173 किलोग्राम चांदी और 19,269 कैरेट हीरे शामिल हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

पौड़ी में दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत में 22 यात्री घायल

पौड़ी (आरएनएस)। पौड़ी के एकेश्वर में सोमवार सुबह दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 22 यात्री घायल हो गए। सूचना पर सतपुली पुलिस और एसडीआरएफ टीम पहुंची। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बसों को हटाकर मार्ग आवाजाही के लिए खुलवाया गया। दुर्घटना एकेश्वर रोड पर सोमवार सुबह करीब 9.15 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, सुबह कोटद्वार से बस (यूके 15 पीए 0241) सवारियां लेकर चौबट्टाखाल जा रही थी। दूसरी ओर, बस (यूके 15पीए 0825) चौबट्टाखाल से यात्रियों को लेकर कोटद्वार आ रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया।

इंफाल एयरपोर्ट के ऊपर देखा गया यूएफओ, पता लगाने वायुसेना ने भेजे दो राफेल विमान

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना ने इंफाल एयरपोर्ट के पास देखी गई अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की तलाश में अपने दो राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं। दरअसल यहां दोपहर करीब 2.30 बजे इंफाल हवाईअड्डे के ऊपर एक यूएफओ देखा गया, जिसके बाद कुछ वाणिज्यिक उड़ानें प्रभावित हुईं। रक्षा सूत्रों ने बताया, इंफाल एयरपोर्ट के पास यूएफओ के बारे में सूचना मिलने के तुरंत बाद, पास के एयरबेस से एक राफेल लड़ाकू विमान को वहां जाकर उसकी तलाश करने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा, उन्नत सेंसर से लैस विमान ने यूएफओ की तलाश के लिए संदिग्ध क्षेत्र के ऊपर काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले विमान के लौटने के बाद एक और राफेल लड़ाकू विमान भेजा गया था। उसने भी खोजबीन की, लेकिन यूएफओ इलाके के आसपास नहीं देखा गया। उन्होंने कहा, संबंधित एजेंसियां यूएफओ के विवरण का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि इंफाल एयरपोर्ट पर यूएफओ दिखने के वीडियो सामने आए हैं। बता दें कि इंफाल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सर्विस कर्मियों, एयरलाइंस के कर्मचारियों, आम लोगों, पुलिस और सीआईएसएफ कर्मियों ने देखा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की छत पर मंडराता दिखी यह वस्तु किसी की पहचान में नहीं आ रही थी।

छठ पूजा के बाद बड़ी वारदात: सनकी ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर बरसाईं गोलियां

लखीसराय (आरएनएस)। बिहार के लखीसराय शहर में छठ पूजा के दौरान एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां कबैया थाना के अधीन आते पंजाबी मोहल्ला में छठ घाट से घर आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच ही एक सनकी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान छह लोगों को गोली लगी है, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार, एएसपी रौशन कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी ने एक ही परिवार को अपना निशाना बनाया है। वारदात में शशिभूषण झा के दो बेटे चंदन झा और राजेंद्र झा की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि शशिभूषण झा, इनके एक और बेटे दुर्गा झा, बहु लवली देवी पत्नी राजनंदन झा एवं प्रीति देवी पत्नी कुंदन झा गोली लगने से गंभीर से घायल हो गए हैं।

ट्रेन के एसी कोच में निकला धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप; शीशे तोड़कर भागने का प्रयास

अछल्दा (आरएनएस)। औरैया में आगरा-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में धुंआ उठने की खबर सामने आई है। लखनऊ जा रही इंटरसिटी के एसी कोच में धुंआ उठते ही अफरातफरी मच गई। यात्री उतरकर भागने लगे। कई मुसाफिरों ने बोगी के शीशे तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। अछल्दा स्टेशन पर ट्रेन रोककर यात्रियों को उतारा गया और रेलगाड़ी खंगाली गई। सुबह करीब नौ बजकर 25 मिनट पर यात्रियों ने सी-वन बोगी में धुंआ उठते देखा। दहशत के बीच कोच में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ने की कोशिश की। तब तक चालक को धुएं की सूचना मिल गई और ट्रेन को अछल्दा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-एक पर ले जाकर रोक दिया। ट्रेन रुकते ही यात्री उतरकर भागे। सूचना पर आरपीएफ और अछल्दा पुलिस के साथ अग्निशमन की गाड़ी भी पहुंच गई। रेल कर्मियों और पुलिस की जांच में पता चला कि बोगी में बाथरूम के पास लगे आग को बुझाने वाले सिलेंडर से गैस लीक हुई थी।

विशाखापट्टनम के बंदरगाह में लगी भीषण आग, 40 नाव जलकर खाक- करोड़ों का हुआ नुकसान

विशाखापट्टनम (आरएनएस)। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह में भीषण आग लग गई। एक नाव से शुरू हुई आग आखिरकार 40 नावों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विशाखापट्टनम के मछली बंदरगाह पर आग आधी रात तक लगभग 40 फाइबर-मशीनीकृत नावों में फैल गई। पुलिस और दमकल दल ने तुरंत कार्रवाई की। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। डीसीपी आनंद रेड्डी ने कहा कि इस बारे में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

मछुआरों को संदेह है कि कुछ अपराधियों ने नावों में आग लगा दी है। यह भी संदेह है कि एक नाव में किसी पार्टी होने के कारण उसमें आग लग गई थी। बंदरगाह से चौंकाने वाले नजारों में दमकल के लोगों को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा गया। मछुआरे असहाय होकर आग को देखते रहे और उनकी आजीविका के साधन जलकर खाक हो गए। कुछ नौकाओं में विस्फोट भी हुआ, जो जाहिर तौर पर ईंधन टैंकों तक आग पहुंचने के कारण हुआ। इससे इलाके में दहशत फैल गई। डीसीपी आनंद रेड्डी ने कहा कि आग रात करीब 11:30 बजे लगी।

अयोध्या : 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12.20 बजे होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा

अयोध्या (आरएनएस)। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12.20 बजे पीएम नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समारोह को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए साकेत निलयम में रविवार को संघ परिवार की बैठक हुई। इसमें समारोह के अभियान को चार चरणों में बांटकर तैयारियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

इसका पहला चरण शुरू हुआ जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें समारोह की कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए छोटी-छोटी संचालन समिति बनाई जाएंगी। जिला व खंड स्तर पर 10-10 लोगों की टोली बनाने पर सहमति बनी है। टोली में मंदिर आंदोलन के कारसेवकों को भी शामिल किया जाएगा। टोलियां 250 स्थानों पर बैठकें कर समारोह से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील करेंगी। दूसरा चरण एक जनवरी से शुरू होगा। इसमें घर-घर संपर्क योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों में पूजित अक्षत, रामलला के विग्रह का चित्र व एक पत्रक दिया जाएगा।

इसके जरिये लोगों से समारोह के दिन दीपोत्सव मनाने की अपील की जाएगी। 22 जनवरी को तीसरे चरण में रखा गया है। उस दिन पूरे देश में उत्सव हो व घर-घर अनुष्ठान हों, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। चौथे चरण में देशभर के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की योजना है। यह चरण गणतंत्र दिवस से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। यह अभियान प्रांतवार चलाया जाएगा। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं को 31 जनवरी व 01 फरवरी को दर्शन कराने पर योजना है।

रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा 20 नवंबर को रात 2:09 बजे से शुरू होगी। परिक्रमा में लगभग 42 किमी का रास्ता तय करना होगा। इसके लिए सड़कों और चौराहों को दुरुस्त किया जा रहा है। धूल न उठे इसके लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अस्थायी बस अड्डा भी बनाया गया है। मठ-मंदिर सज गए हैं। लखनऊ से आने वाले भक्त सहादतगंज परिक्रमा मार्ग और फैजाबाद बस स्टेशन पहुंचेंगे। बाईपास से सभी अयोध्या पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने वाले अयोध्या कैंट पहुंचेंगे। यहां से व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। ये परिक्रमा 21 नवंबर की रात 11:38 बजे समाप्त होगी।

बंगाल राशन मामला : गिरफ्तार कारोबारी के पास कैसे पहुंचे राज्य सरकार के लॉग-इन और पासवर्ड, ईडी कर रही जांच

कोलकाता (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में जांच जारी है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी इस बात से हैरान हैं कि घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यवसायी के पास राज्य सरकार के लॉग-इन आईडी और पासवर्ड कैसे पहुंचे। गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी बाकिबुर रहमान की राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालयों की साख तक पहुंच थी।

छापे और तलाशी अभियान के दौरान, जांच एजेंसी ने रहमान के विभिन्न कार्यालयों से कई राज्य सरकार की मुहरें जब्त कीं, जो सभी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़ी थीं। बरामद की गई मुहरों में पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड के साथ-साथ मुख्य निरीक्षक, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप-निरीक्षक की मुहरें शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार की मुहरों की बरामदगी और गिरफ्तार व्यवसायी के पास महत्वपूर्ण लॉग-इन आईडी और उनके पासवर्ड तक पहुंच होना, साबित करता है कि विभाग में उसका कितना प्रभाव और दबदबा था।

ईडी अधिकारियों का मानना है कि किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी कारोबारी का इस तरह का प्रभाव और दबदबा तब तक संभव नहीं है जब तक कि कारोबारी को उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त न हो। इस बीच, राज्य के निवर्तमान वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, जिन्होंने पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था, इस मामले में अपनी कथित संलिप्तता को लेकर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पैकेज्ड आटा विपणन संस्थाओं के गठजोड़ के साथ रहमान के संबंधों की भी पहचान की है, जिन्हें यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आटा बेचता था।

वर्ल्ड कप फाइनल पर सट्टा लगाने के आरोप में एक गिरफ्तार

कोलकाता (आरएनएस)। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सट्टा लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। शहर पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के गोलाबाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बॉटकिंस लेन निवासी अमन खेतान (29) के रूप में की गई है। स्थानीय थाने की पुलिस ने उसे रविवार देर शाम कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक आई-फोन जब्त किया गया जिसमें सट्टेबाजी से संबंधित कई स्क्रीनशॉट थे। शहर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, उस पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले कोलकाता में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान शहर पुलिस ने क्रिकेट-सट्टा लगाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से आई-फोन और लैपटॉप समेत कई गैजेट जब्त किए गए।

अंधविश्वास : मासूम को 51 बार अगरबत्तियों से दागा गया; शरीर पर हुए कई घाव

शहडोल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अंधविश्वास की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां निमोनिया पीड़ित डेढ़ माह के एक मासूम को 51 बार अगरबत्ती से दागा गया, जिसके चलते उसके शरीर पर कई घाव हो गए। बच्चे को अब मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है।

बताया गया है कि हरदी निवासी प्रेमलाल के डेढ़ माह के बेटे प्रदीप को निमोनिया था और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बिगड़ती हालत बिगड़ी तो उसका चिकित्सक से उपचार कराया गया। मगर, इसी बीच परिजनों ने नीमहकीम व ओझा का सहारा लिया। बताया गया है कि परिवार के बुजुर्गों ने मासूम को सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते ओझा का सहारा लिया। ओझा ने बच्चे के शरीर के अलग-अलग हिस्से में लगभग 51 बार अगरबत्ती से दागा। बच्चे को अगरबत्ती से दागे जाने से उसके शरीर पर कई जगह घाव उभर आए।

हालत और बिगड़ी तो उसे चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड का मौसम आने पर बच्चे निमोनिया का शिकार होते हैं और आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के कारण यहां लोगों का ओझा, नीमहकीम पर ज्यादा भरोसा है और वे अगरबत्ती आदि से दगवाते हैं। यह भी उसी तरह का मामला है। प्रशासन इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ याचिका पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से निष्क्रियता के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव से शुक्रवार तक जवाब मांगा।

पीठ ने आदेश दिया, दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें। हम भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में इस अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। सुनवाई के दौरान केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल को यह महसूस करना चाहिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल का हिस्सा हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल खान के पास 7-23 महीने की अवधि के लिए लगभग 8 विधेयक सहमति के लिए लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल उन तीन विधेयकों को लेकर भी बैठे हुए हैं, जिन्हें पहले उनके हस्ताक्षर के तहत अध्यादेश के रूप में घोषित किया गया था। याचिका के अनुसार, लगभग आठ विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और इनमें से, तीन विधेयक राज्यपाल के पास दो साल से अधिक समय से लंबित हैं, और तीन पूरे एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।

केरल सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके सामने पेश किए गए बिलों को इतने लंबे समय तक लंबित रखकर राज्यपाल सीधे तौर पर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि बिल को जितनी जल्दी हो सके निपटाया जाना चाहिए। रिट याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 में आने वाले जितनी जल्दी हो सके शब्दों का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि न केवल लंबित बिलों को उचित समय के भीतर निपटाया जाना चाहिए, बल्कि इन बिलों को बिना किसी देरी के तत्काल और शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की कथित निष्क्रियता विधेयकों के माध्यम से लागू किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों के लिए राज्य के लोगों के अधिकारों को खत्म कर देती है।

याचिका में कहा गया है, राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया जा रहा है, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी आधारों को पराजित करने और नष्ट करने की धमकी देता है।

अलग राज्यों में एफआईआर के बावजूद हाईकोर्ट-सत्र अदालतें दे सकती हैं जमानत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय आरोपी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकते हैं, भले ही एफआईआर किसी दूसरे राज्य में ही क्यों न दर्ज हो। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ राजस्थान में एक महिला द्वारा दायर दहेज की मांग की शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें पति को बेंगलुरु जिला अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि एफआईआर या सत्र अदालतें किसी आरोपी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकती हैं, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया हो और अंतरिम सुरक्षा तब तक जारी रहेगी जब तक आरोपी क्षेत्राधिकार वाली अदालत में नहीं पहुंचता। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि अदालतों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर विचार करते हुए सीमित अंतरिम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने पर कुछ शर्तें लगाईं। इसने फैसला सुनाया कि जांच अधिकारी और एजेंसी को ऐसी सुरक्षा की पहली तारीख को नोटिस दिया जाना चाहिए, और आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वे क्षेत्राधिकार वाली अदालत से संपर्क करने में सक्षम नहीं हैं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ऐसी अग्रिम जमानत देते समय क्षेत्रीय निकटता का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।